<u>मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिव के साथ दिनांक 06/01/2026 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण-</u>

--00--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में **दिनांक 06/01/2026 को सायं 05.00 बजे** से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल स्थित सभाकक्ष में समय-सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभाग स्तर के मण्डी सचिवों द्वारा वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया गया। बैठक में समीक्षा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिए गए :-

(01) <u>भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा</u> :-

भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा में प्रदेश में जिन कृषि उपज मण्डियों में सोयाबीन की आवक में वृद्धि ज्यादा प्रतीत हो रही है उन मण्डियों में सोयाबीन की आवक में वृद्धि के संबंध में आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालकों से वन-टू-वन मण्डीवार चर्चा की गई तथा सोयाबीन के पुनर्चक्रण **(recycling)** की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय इन मण्डियों का दल भेजकर एवं स्वयं निरीक्षण कर सोयाबीन आवक में वृद्धि के कारणों की समीक्षा करें। मण्डी बोर्ड, भोपाल द्वारा सोयाबीन के पुनर्चक्रण **(recycling)** से संबंधित जारी परिपत्र दिनांक 21.11.2025 का सख्ती से पालन करावें। मण्डी गेट पर पंजीकृत कृषक की शासकीय दस्तावेजों से पहचान, रियल टाइम डॉटा एन्ट्री, सी.सी.टी.व्ही. कैमरा क्रियाशीलता, क्रय-विक्रय संव्यवहार की वीडियो रिकार्डिंग, बोनी, उत्पादन, क्षतिपूर्ति मुआवजा वितरण के आधार पर गत वर्ष एवं इस वर्ष की तुलनात्मक आवक की समीक्षा कर गड़बड़ियों को चिन्हांकित कर उनकी रोकथाम करते हुए प्रतिवेदन मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को 07 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।

(02) <u>सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा</u> :-

सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों की संभागवार समीक्षा करने पर एल-1 पर 2554, एल-2 पर 1719, एल-3 पर 3255 एवं एल-4 पर 158 इस प्रकार कुल **7686** शिकायतें लंबित पाई गई। जिसमें से लगभग 5600 शिकायतें भावांतर भुगतान योजना से संबंधित लंबित होना परिलक्षित हुई है। समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय को निर्देशित किया गया कि भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत कृषक का भुगतान

तकनीकी कारणों से रूकता है, जिसमें सोयाबीन की एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता, नगद भुगतान रुपये 3500/- से कम मूल्य पर विक्रय आदि कारण हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि कर निराकरण सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज करावें। मण्डियां अपने स्तर से 'शीघ्र भुगतान किया जावेगा'संबंधी निर्णय पोर्टल पर स्वविवेक से दर्ज ना करें। कृषक के भुगतान का पूर्ण विवरण लाईव पेमेंट स्टेटस पोर्टल पर ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान की गई है तथा रुपये 3500/- के नीचे सोयाबीन विक्रय होने पर भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिलेगा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अतः सी.एम. हेल्पलाइन का निराकरण करने हेतु अधीनस्थ मण्डियों को ताकीद करें एवं शीघ्रता से सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कराना सुनिश्चित किया जावे। ध्यान रखें कि कोई भी शिकायत अनअटेण्डेंट ना रहे। **दिनांक** 13.01.2026 को मण्डी बोर्ड, भोपाल में आंचलिक संयुक्त संचालकों की आयोजित समीक्षा बैठक में पेंडिंग शिकायतों के निराकरण की अद्यतन प्रगति साथ मे लाने हेतु निर्देशित किया गया।

(03) **ई.एच.आर.एम.एस. की समीक्षा**:-

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी ई.एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर अपडेट करने संबंधी कार्य की समीक्षा करने पर प्रदेश की 27 मण्डी समितियों में पेंडिंग की स्थिति पाई गई, जिसके संबंध में तकनीकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्रोग्रामर, श्री संजीव अग्निहोत्री को निर्देशित किया गया। समीक्षा करने पर पाया गया कि तकनीकी संभाग मंदसौर, जबलपुर, रीवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति बानमोरकलां, बैरछा, कैलारस, खतोरा, सबलगढ़, सेवढ़ा, विजयपुर, गंधवानी, हरसूद, सेगांव, लखनादौन, शहपुरा भिटौनी, ब्यौहारी, बुढार, अजयगढ़, छतरपुर, देवरी, खुरई, पथरिया, पवई, सागर, अकोदिया, बानापुरा, जौरा, कालापीपल में मात्र 01 कर्मचारी को ऑनबोर्ड किया जाना प्रदर्शित हो रहा है। संबंधित कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग एवं समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय को संभाग अंतर्गत अधीनस्थ कृषि उपज मण्डियों में आगामी एक सप्ताह में शत-प्रतिशत डॉटा एन्ट्री पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

(04) **सार्थक एप की समीक्षा**:-

सार्थक एप में अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा करने पर कृषि उपज मण्डी समिति बालाघाट, अनूपपुर, मैहर, मऊगंज में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय को निर्देशित किया गया कि संभाग अंतर्गत कृषि उपज मण्डियों के सभी अधिकारी/कर्मचारियों का **दिनांक 10.01.2026** तक शत-प्रतिशत सार्थक एप में रजिस्ट्रेशन करवाया जाये। सार्थक एप की उपस्थिति के आधार पर आगामी माह का वेतन भुगतान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सार्थक एप पर

अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा हेतु आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री को डैशबोर्ड पर एक्सेस उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए।

(05) <u>विभागीय जांच की समीक्षा</u> :-

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के लगभग **230** अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के मामले प्रचलित होने की जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें मण्डी बोर्ड, मुख्यालय के अधिकारियों के पास 07 विभागीय जांच, संयुक्त संचालक, ग्वालियर के पास 02, संयुक्त संचालक, सागर के पास 04, संयुक्त संचालक, उज्जैन के पास 01, उप संचालक, इंदौर के पास 03, संयुक्त संचालक, भोपाल के पास 10, संयुक्त संचालक, जबलपुर के पास 16, संयुक्त संचालक, रीवा के पास 05, कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग, मुरैना के पास 01 तथा कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग सागर के पास 01 इस प्रकार **कुल 50** विभागीय जांच प्रकरण लंबित होना पाए गए। लगभग **180** अधिकारी/कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें अंतिम निराकरण होना शेष है। उक्त समस्त लंबित प्रकरणों को जून, 2026 तक निराकरण कराने के निर्देश दिए गए।

(06) <u>न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा</u> :-

मण्डी सचिव बिना वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाये स्वविवेक से जवाबदावा प्रस्तुत कर रहे हैं, कई मामलों में यह भी देखने में आया है कि न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेश को समय पर संसूचित नहीं करने तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा हेतु कोई कारगर प्रणाली विकसित नहीं करने और न्यायालयीन निर्णय अनुसार प्रकरण का निराकरण **(Speaking order)** समयावधि में जारी नहीं करने के कारण माननीय न्यायालय में अवमानना प्रकरण दायर हो रहे हैं। इस लापरवाहीपूर्वक कार्य प्रणाली पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वन-टू-वन अधिकारियों से चर्चा कर न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी ली गई तथा निर्देशित किया गया कि प्रथम सुनवाई में विभाग की ओर से प्रतिरक्षण के अभाव में पिटीशनर को स्थगन प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। ट्रांसफर प्रकरणों में आंचलिक अधिकारी अग्रिम केविएट दायर करें। जिन प्रकरणों में स्थगन है, उन्हें वैकेट कराया जावे। प्रकरण दायर होने के अधिकतम 15 दिवस के भीतर रिटर्न तैयार कराकर फाईल कराया जावे। न्यायालयीन प्रकरणों में पारित अंतिम आदेश की जानकारी अधिकतम 07 कार्य दिवस के भीतर मण्डी बोर्ड, भोपाल को उपलब्ध कराई जावे। यह सभी कार्रवाईयां नियमित रूप से संचालित करने की प्रणाली विकसित करने के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

(07) <u>निर्माण कार्यों की समीक्षा</u>:-

प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों का अभिन्यास मानचित्र **(Layout Plan) Digital** हो, इसके संबंध में **AutoCAD Software** एवं **Plotter (Hardware Device)** क्रय करने हेतु

कार्यवाही करने के अधीक्षण यंत्री-1, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को निर्देशित किया गया।

(08) <u>अन्य मुद्दों पर निर्देश</u>:-

- कृषि उपज मण्डी समिति इंदौर के लिए नयी भूमि चयनित करने हेतु उप संचालक, आंचलिक कार्यालय इंदौर को निर्देशित किया गया।
- दिनांक 13.01.2026 को मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में आंचलिक संयुक्त संचालक/ उप संचालक की आयोजित समीक्षा बैठक में लंबित सी.एम. हेल्पलाइन, भावांतर भुगतान योजना तथा मण्डियों की आवक एवं आय की समीक्षा की जावेगी, जिसका पावर पाइंट प्रजेन्टेशन सभी आंचलिक अधिकारी बनाकर लावें।
- सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक अधिकारी **समयसीमा** के पत्रों की जानकारी नियत समयावधि में मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को उपलब्ध करावें।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/जनवरी/2026/2368 भोपाल] दिनांक 15/01/2026

<u>प्रतिलिपि</u>:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक/सहायक यंत्री(समस्त)म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय-(समस्त)।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग-(समस्त)।
8. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल